

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}


न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आर.ए.एस.


श्री सीमेन्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस बांगड़ नगर ब्यावर जिला अजमेर राजस्थान।	-बनाम-	बोदूराम पुत्र मांगू जाति जाट निवासी खेदड़ा की ढाणी तन चोढाणी तहसिल नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान आदि।
किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148(ए) जाब्ता दीवानी		मु.नं. 12/2022 RCMS No


आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
------	-----------------	---------------------------

14.10.22 प्रार्थना पत्र बाबत कैवियट आवेदक की ओर से वकील श्री चन्द्रकांत शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में वाद-प्रस्तुत होने पर आवेदक को सुना जाने हेतु प्रार्थना पत्र तलब की जावेगी। पत्रावली दिनांक 28.12.2022 को पेश हो।


 सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
 नवलगढ़ जिला झुन्झुनू


28/12/22
 पत्रावली पेश हुई। आज प्राथमिक तलब हुआ है। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही दिनांक 16/1/23 को पेश हो।
 ए.सी.ई.एस. (फा.ट्रे.)
 नवलगढ़

16/1/23 पत्रावली पेश हुई। आज प्राथमिक तलब हुआ है। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही दिनांक 20/2/23 को पेश हो।


20/2/23 पत्रावली पेश हुई। आज प्राथमिक तलब हुआ है। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही दिनांक 21/4/23 को पेश हो।


पत्रावली पेश हुई। वकील कुविमट रजिस्टर्ड ऑफिस बांगड़ जिला अजमेर राजस्थान द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में वाद-प्रस्तुत होने पर आवेदक को सुना जाने हेतु प्रार्थना पत्र तलब की जावेगी। पत्रावली दिनांक 28.12.2022 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकील कुविमट रजिस्टर्ड ऑफिस बांगड़ जिला अजमेर राजस्थान द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में वाद-प्रस्तुत होने पर आवेदक को सुना जाने हेतु प्रार्थना पत्र तलब की जावेगी। पत्रावली दिनांक 28.12.2022 को पेश हो।

03 माह से अधिक समय हो चुका है। उक्त अवधि के दौरान न्यायालय हाजा में कैवियट में दर्ज खसरा नम्बर के संबंध में कोई प्रकल्प प्रस्तुत नहीं हुआ है। कैवियट प्रार्थना पत्र की अवधि 90 दिवस है जो की खत्म हो चुकी है। कैवियट प्रार्थना पत्र अवधि पार होने से आगे चलने का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थना पत्र अवधिपार होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली जिसल 23 माह होकर दर्ज नम्बर से छत्र हो गया बाद तस्वीर आस्था दालिद 1 फरवरी को।


ए.सी.ई.एस. (फा.ट्रे.)
 नवलगढ़